



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 165-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020 (KARTIKA 13, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 नवम्बर, 2020

दुध उपकर पर देय राशि के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम

क्रमांक 5218(CFMS)—प०पा०—4—2020 / 7391.— राज्य सरकार द्वारा केविड-19 के हालात को ध्यान में रखते हुये वन टाईम सेटलमेंट स्कीम जो क्रमांक 4719(CFMS)—प०पा०—4—2019 / 9114, दिनांक 10.09.2019 द्वारा जारी की गई थी की प्रविष्टि की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सभी सम्बन्धित तथ्यों पर सावधानी पूर्वक विचार करने उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 50 प्रतिशत राशि बढ़ाई गई अवधि दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक जमा करवानी होगी तथा बकाया 50 प्रतिशत राशि 31 दिसम्बर, 2020 तक जमा करवाई जानी होगी।

इसके उपरान्त स्कीम के विस्तार हेतु किसी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा वन टाईम सेटलमेंट स्कीम के बाकी नियम और शर्तें क्रमांक 4719(CFMS)— प०पा०—4—2019 / 9114, दिनांक 10.09.2019 के अनुसार होंगे।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 नवम्बर, 2020.

डॉ० राजा सेखर वृंदरू,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2020

ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR MILK CESS DUES

No. 5218(CFMS)-AH-4-2020/7391.— The Government has decided to extend the One Time Settlement Scheme issued vide No. 4719(CFMS)-AH-4-2019/9114, dated 10th September 2019, upto 30th November, 2020 and 31st December, 2020, in view of COVID-19 situation.

After careful consideration of all relevant factors, now, it has been decided that 50% of the amount may be deposited within this extended period upto 30th November, 2020 and balance 50% upto 31st December, 2020.

No further representation for extending the time will be entertained thereafter. Rest terms and conditions of One Time Settlement Scheme issued vide No. 4719-CFMS-AH-4-2019/9114 dated 10.09.2019, shall remain the same.

Chandigarh:
The 4th November, 2020.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Principal Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Deptt.